MINISTRY OF ENVIRONMENT AND FOREST

NOTIFICATION

New Delhi, the 10th January, 2003

G.S.R. 23(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 4 of the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), and in supersession of the Forest (Conservation) Rules, 1981, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

1. Short title, extent and commencement.-
   (1) These rules may be called the Forest (Conservation) Rules, 2003.
   (2) They shall extend to the whole of India except the State of Jammu and Kashmir.
   (3) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires:-
   (a) "Act" means the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980);
   (b) "Committee" means the Advisory Committee constituted under section 3 of the Act;
   (c) "Chairperson" means the Chairperson of the Committee;
   (d) "Member" means a member of the Committee;
   (e) "Nodal Officer" means any officer not below the rank of Conservator of Forests, authorised by the State Government to deal with the forest conservation matters under the Act;
   (f) "Regional Office" means a Regional Office of the Central Government in the Ministry of Environment and Forests established as part of the Ministry to deal with the forest conservation matters under the Act;
   (g) "Section" means a section of the Act;
   (h) "User Agency" means any person, organisation or Company or Department of the Central or State Government making a request for diversion or de-notification of forest land for non-forest purpose or using forest land for non-forest purpose in accordance with the permission granted by the Central Government under the Act or the rules.

3. Composition of the Committee.-
   (1) The Committee shall be composed of the following members:-
   (i) Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests - Chairperson.
   (ii) Additional Director General of Forests, Ministry of Environment and Forests- Member.
   (iii) Additional Commissioner (Soil Conservation), Ministry of Agriculture - Member
   (iv) Three eminent experts in forestry and allied disciplines (non-officials)- Member
   (v) Inspector General of Forests (Forest Conservation), Ministry of Environment and Forests - Member Secretary

Photo copy Attested

सहायक अभियन्ता
ASSISTANT ENGINEER
द० खण्ड लो०नि०वि०
PWD THATYUR
थत्यूड (टि०ग०)

अनुदेश (भाग-I के लिए)

1. परियोजना प्राधिकारी कॉलम 2(i)यथा अवतलन विश्लेषण रिपोर्टो आदि के साथ मुख्य खनिजों/सी एम पी डी आई योजना के लिए आई बी एम अनुमोदित खनन योजना को पूरा करने के अलावा अनुमोदित परियोजना/योजना की एक प्रति संलग्न करेंगे।

2. मानचित्र मूल होना चाहिए और वह परियोजना प्राधिकारियों और संबंधित डी सी एफ कॉलम 2(ii)संयुक्त रूप से अधिप्रमाणित होना चाहिए।

3. यदि उक्त कम्पनी/व्यक्ति ने राज्य में समान परियोजना के लिए वनभूमि ली है तो परियोजनाओं की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ अनुलग्नक में दिए गए ऐसे सभी अनुमोदनों/पट्टों का संक्षिप्त ब्यौरा दिया जाना चाहिए।

4. (मद वार आवश्यकताएं (कॉलम 3) में कटे हुए क्षेत्रों तथा नए क्षेत्रों में पृथकतः दिखाई जानी चाहिए)

5. वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 के अन्तर्गत मंत्रालय द्वारा जारी अद्यतन स्पष्टीकरणों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। यदि ऐसी सूचनाएं दिए गए कॉलम में उपयुक्त नहीं बैठते है तो इन्हे अलग से संलग्न किया जाना चाहिए।

सामान्य अनुदेशः-

1. प्रस्ताव की प्राप्ति पर, नोडल अधिकारी, प्रयोक्ता एजेंसी को इसकी प्राप्ति की रसीद देगा जिसमें प्रस्ताव का नाम, प्रयोक्ता एजेंसी का नाम, क्षेत्र हैक्टेयर में, क्रम संख्या और प्राप्ति की तारीख का उल्लेख होगा।

2. यदि ऊपर दिया गया स्थान किसी सूचना को निर्दिष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है तो कृपया अलग से ब्यौरों/दस्तावेजों को संलग्न करें।

3. प्रस्तावों को केन्द्र सरकार को अग्रेषित करते समय, पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा जारी

अनुसार मामले के सभी पहलुओं पर पूर्ण ब्यौरा दिया जाना चाहिए। अपूर्ण अथवा अपूर्ण प्रस्तावों पर विचार नहीं किया जाएगा और इसे मूल रूप में राज्य सरकार को लौटा दिया जाएगा।

4. राज्य सरकार निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रस्ताव को केन्द्रीय सरकार के पास प्रस्तुत करेगी। यदि अग्रेषित करने में विलम्ब हुआ है तो इसके कारणों को प्रस्ताव/पत्र में दिया जाना चाहिए।

([illegible])
डॉ. वी.के. बहुगुणा, वन महानिरीक्षक (वन संरक्षण)

टिप्पणीः-मूल नियम भारत के राजपत्र के भाग II, खण्ड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि संख्या 7 दिनांक पहली अगस्त 1981 को प्रकाशित किए गए थे और बाद में इसे निम्नलिखित के अनुसार संशोधित किया गया थाः-

(1) सा. का. नि.14 दिनांक 28 दिसम्बर, 1987

(2) सा. का. नि. 640 (अ)दिनांक 26 जून, 1989

(3) सा.का.नि. 563 (अ), दिनांक 21 मई, 1992

Photocopy Attested

सहायक अभियन्ता लो.नि.वि.
ASSISTANT ENGINEER
PWD